समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला निर्वाचन कार्यालय)

दिनांक 23-06-2015 को जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बिहार विधान परिषद् के चुनाव को सफल बनाने हेतु हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

पंजी अनुसार।

2. कार्यवाही

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा बिहार विधान परिषद् के सफलतापूर्वक निर्वाचन कराने के लिए कोषांगवार समीक्षा की गयी। उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दिनांक 07-07-2015 को 08:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक मतदान निर्धारित है।

3. कार्मिक कोषांग

समीक्षा के क्रम में निर्णय लिया गया कि पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रखंड पर्यवेक्षीय पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी के रूप में समाहरणालय संवर्ग के प्रधान सहायक /उच्च वर्गीय सहायक तथा तृतीय मतदान पदाधिकारी के रूप में समाहरणालय के निम्न वर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति की जाय। उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस जिले में कुल 13 मतदान केन्द्र हैं, जिसके लिए मतदान कर्मियों की नियुक्ति की जानी है।

कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी-सह-जिला स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि मतदान कर्मियों का नियुक्ति पत्र तैयार किया जा रहा है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि 01 एवं 05 जुलाई, 2015 को प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया जाय ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति देते हुए निदेश दिया गया कि नियुक्ति पत्र में ही प्रशिक्षण का कार्यक्रम अंकित किया जाय ताकि उन्हें इसकी जानकारी हो सके। यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 05-07-2015 को मतदान कर्मियों का योगदान जिला मुख्यालय में कराया जाय तथा उन्हें सामग्री भी उसी दिन उपलब्ध करा दी जाय।

4. गश्ती-सह-मतपेटिका संग्रह

समीक्षा के क्रम में निर्णय लिया गया कि गश्ती-सह-मतपेटिका संग्रह के लिए जिला में पदस्थापित सभी अंचल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाय। उक्त दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाय कि वे अपने सरकारी वाहन से मतदान केन्द्रों पर बराबर गश्ती करेंगे तथा विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मतदान के पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी के साथ मतपेटिका को लेकर वे सहरसा स्थित बज्रगृह में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

5. जोनल दण्डाधिकारी

चुनाव आयुक्त के निदेश के आलोक में त्रि–स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की जानी है। इसके तहत इस जिले के सभी 13 मतदान केन्द्रों पर 13 जिला स्तरीय पदाधिकारी (अभियंता सहित) पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जोनल दण्डाधिकारी के रूप में करने का निर्णय लिया गया।

6. माइक्रो ऑब्जर्बर

कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक माइक्रो ऑब्जर्बर की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इसके लिए केन्द्रीय सेवा के कर्मी की प्रतिनियुक्ति होती है। निर्णय लिया गया कि जीवन बीमा निगम एवं बैंक के कर्मी की प्रतिनियुक्ति इस कार्य हेतु की जाय।

7. सामग्री कोषांग

समीक्षा के क्रम में सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 13 मतदान केन्द्रों के लिए कुल 30 मतपेटिका की अधियाचना कर प्राप्त कर ली गयी है तथा उसकी साफ–सफाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी सामग्री (निर्वाचक सूची को छोड़कर) थैला सहित सहरसा जिला से प्राप्त किया जाना है। उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचक सूची की 06 प्रति जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से प्राप्त कर संबंधित मतदान केन्द्र के थैले में ससमय रखवाना सुनिश्चित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी ससमय सहरसा जिला के सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी से सम्पर्क कर सामग्री प्राप्त करेंगे तथा उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे।

8. आदर्श आचार संहिता

इस कोषांग के नोडल पदाधिकारी मो0 खुर्शीद आलम अंसारी हैं। उन्हें निदेश दिया गया कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रतिवेदन सभी संबंधितों को भेजगें। साथ ही वे फ्लाइंग स्क्वायड (Flying Squad) से विहित प्रपत्र 'B' में प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे तथा प्रतिदिन निर्धारित समय पर जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन भेजेंगे।

9. चुनाव पर्यवेक्षक कोषांग

चुनाव पर्यवेक्षक कोषांग के नोडल पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार झा ने बताया कि सहरसा–सह–मधेपुरा–सह–सुपौल विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्र के लिए श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0, सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है। उन्होंने बताया कि श्री अनिल कुमार रमण, जिला आपूर्ति पदाधिकारी उनके सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हैं। माननीय पर्यवेक्षक महोदय का भ्रमण भी इस चुनाव कार्यक्रम में हो रहा है।

10. फ्लाइंग स्कावड

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 2554 दिनांक 22-06-14 के द्वारा फ्लाइंग स्कावड गठन करने का निदेश प्राप्त हुआ है। उक्त निदेश के आलोक में इस जिले के लिए संबंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को फ्लाइंग स्कॉवड के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उक्त निदेश के आलोक में संयुक्त रूप से भ्रमण करेंगे तथा जाँचोपरान्त निम्न कार्रवाई करते हुए इसका अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र 'A' में व्यय कोषांग को तथा प्रपत्र 'B' में आदर्श आचार संहिता कोषांग के प्रभारी पदाधिकारियों को भेजेंगे।

मुख्य कार्य :–

- मोडल कोड का Violation और शिकायत पर कड़ी नजर रखेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा प्रतिवेदन देंगे।
- किसी मतदाता को बहकाना /प्रलोभन देना /शराब पिलाना आदि शिकायतों की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा प्रतिवेदन देंगे।
- किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी मतदाता को पैसे का लेनदेन पर कड़ी नजर रखेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा प्रतिवेदन देंगे।
- पब्लिक मीटिंग की विडियोग्राफी करायेंगे।
- Major Expenditure की विडियोग्राफी करायेंगे।

11. लाईव वेबकास्टिंग

उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया की लाईव वेबकास्टिंग किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा आई0टी0प्रबंधक सुश्री मोनालिशा को निदेश दिया गया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र, जो प्रखंड मुख्यालय में ही अवस्थित है की लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था अपने अधीनस्थ कर्मियों यथा आई0टी0 सहायक एवं कार्यपालक सहायक के सहयोग से सुनिश्चित करेंगे।

12. वाहन कोषांग

निर्णय लिया गया कि बिहार विधान परिषद् चुनाव के अन्तर्गत सभी सरकारी पदाधिकारी अपने सरकारी वाहन का उपयोग करेंगे एवं मतदान स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण कराने में सहयोग करेंगे।

अन्त में जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में बिहार विधान परिषद् -2015 का चुनाव सम्पन्न कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की अपील के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Sd/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिलाधिकारी, मधेपुरा।